फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

संख्या :- 336/2022

सोनिया **बनाम** सरकार

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
19.06.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता लेखराज यादव हाजिर। अप्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जवाब प्राप्त हो चुका है। दावा पर बहस सुनी गई। वादी ने यह वाद बाबत् नाम दुरूस्ती इन्द्राज निषेधाज्ञा का पेश किया है। वादीगण विवादित भूमि खसरा नंबर 4957, 4958, 4959, 4968 कुल किता 04 कुल रकबा 0.51 है0 तथा खसरा नंबर 18 कुल किता 1 कुल रकबा 0.31 है0 वाके ग्राम चन्दलाई तहसील चाकसू मे सम्पूर्ण हिस्सा के रिकोर्डेड काबिज काश्तकार होना बताया है। रिकार्ड में वादीया नाम प्रिया पुत्री रामरतन दर्ज होना बताया है जबकि उनके वादीया का नाम सोनिया पुत्री रामकरण दर्ज होना बताया है। प्रार्थी/वादीगणों के इस आशय का शपथ पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पेश किया है कि प्रतिवादी सरकार ने जवाब ने जाहिर किया है कि विवादित भूमि मे विरासत से प्राप्त हुई है। उसके उपरान्त राजस्व रिकार्ड में प्रिया पुत्र रामरतन के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी ने अपने जवाब में यह सिद्ध नही किया है कि प्रिया पुत्र रामरतन नाम का कोई अन्य व्यक्ति बतौर खातेदार उक्त भूमि पर काबिज है। अतः वादीया के शपथ पत्र एवं जवाब सरकार के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि प्रिया पुत्री रामरतन एवं सोनिया पुत्री रामतरन एक ही व्यक्ति है। अतः वादीया का नाम विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रिया उर्फ सोनिया पुत्री रामकरण दर्ज किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	